

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

(7)

—: आदेश :-

04-06-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-9-189/2011 में आवेदक श्री प्रशान्त कुमार, पिता-श्री रामानन्द सिंह, सा०-मकान सं०-6-बी०/9, तिलक मार्ग, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना-श्रीकृष्णापुरी, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-04.06.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि उनका पेट्रोल पम्प है तथा वे भवन निर्माण के कार्य से जुड़े हुए हैं। जिसके कारण उन्हें अपने काम से ध्वसाय के सिलेसिले में उन्हें प्रायः बड़ी राशि के साथ कभी भी घर से बाहर जाना पड़ता है, जिससे वे अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का पत्रांक-871/गो०, दिनांक-07.08.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के पत्रांक-27/सचि०, दिनांक-23.07.2102 द्वारा आवेदक के आवेदित शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी के जाँचोपरान्त शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, श्रीकृष्णापुरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पेट्रोल पम्प तथा मकान कन्सट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े हैं, जिसके कारण उन्हें अपने काम से कभी भी घर से बाहर जाना पड़ता है, जिससे वे अपने आप को असुरक्षित एवं भय महसूस करते हैं। इसी कारण अपने जान-माल एवं संपत्ति की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

(8)

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं०-V-11016/16/ 2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रशान्त कुमार, पिता-श्री रामानन्द सिंह, सा०-मकान सं०-6-बी०/9, तिलक मार्ग, उत्तरी श्रीकृष्णापुरी, थाना-श्रीकृष्णापुरी, जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।